न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर केंप भोपाल

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2018/1146

1. अरूण कुमार रघुवंशी
2. शिवनारायण रघुवंशी
3. जयनारायण रघुवंशी

सभी आत्मज श्री श्यामलाल रघुवंशी सभी निवासी एवं कास्तकार ग्राम कांद्राखेड़ी तह. डोलरिया जिला होशंगाबाद..पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. शासन
2. साहबसिंह आत्मज श्यामलाल
   कास्तकार एवं निवासी ग्राम कांद्राखेड़ी
   तह. डोलरिया जिला होशंगाबाद..उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

राजस्व निरीक्षक मंडल डोलरिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक 51/अ/12 वर्ष 2016-17 में किए गए सीमांकन दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/1146

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-2-2019	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन की सूचना आवेदक पक्ष को दी गई है, परन्तु उनके द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया है, इस संबंध में कोटवार द्वारा टीप अंकित कर हस्ताक्षर किए गये हैं । प्रकरण क्रमांक 0011अ/70/2016-17 में तहसील न्यायालय के समक्ष कोटवार ने अपने बयानों में इसकी पुष्टि की है । स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष को सीमांकन की जानकारी थी, इसलिए समय-सीमा की गणना सीमांकन दिनांक 15-6-2017 से की जायेगी । आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं आवेदन पत्र की पुष्टि अभिलेख से नहीं होती है । इस प्रकार सीमांकन कार्यवाही की सूचना होने के उपरांत भी आवेदक पक्ष द्वारा सीमांकन दिनांक 15-6-2017 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 6-1-2018 को 145 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । न्याय दृष्टान्त 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष शीअर	